मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 1995 (चैत्र 7, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, दुर्ग जिले के एक सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, कटनी नगर की दुबे कॉलोनी में ट्रक दुर्घटना से एक व्यक्ति की हुई मौत से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति का पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताइसवां, अट्ठाइसवां, उन्तीसवां एवं तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम कागदी कराड़िया के पास क्षिप्रा नदी पर स्टापडेम बनाये जाने ;
(ख) आगर रोड उज्जैन से तराना तक सड़क बनाये जाने ;

(2) श्री रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम परासिया से मड़ैया तक सड़क निर्माण कराये जाने ;
(ख) ग्राम पैरा में पशु औषधालय का निर्माण कराये जाने ;
(ग) ग्राम कोनिया कला में महिला स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;

(3) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम इसाकपुर के पास नदी पर पुल बनाये जाने ;

(4) महन्त स्वामी उमेश मुनि, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम बसाड़ से खण्डवा रोड तक पक्की सड़क बनाये जाने ;

(5) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ जिले के ग्राम खरी तिगेला से पचेर (धसान नदी) तक सड़क बनाये जाने ;

(6) श्री ज्ञान सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम पिनौरा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ; तथा

(7) श्री रामदेव सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम नागौद से कर्मदेश्वर नाथ गुदा तक पक्की सड़क बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. शासकीय संकल्प

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

15 मि. " यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य (निशुल्क अहस्तान्तरणीय बस पास) नियम, 1989 को विखंडित करने वाली संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 820-एक (2) 57-अड़तालीस-92 (सं.का.), दिनांक 6 जुलाई, 1994, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई, 1994 भाग 1 में प्रकाशित की गई है, को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदित करता है. "

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

2 घन्टे (1) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 8 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (2) श्री बिसाहूलाल सिंह, राज्यमंत्री पशुपालन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 2 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 14 दिसम्बर, 1994 को उप मुख्यमंत्री (कृषि) से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्रमांक 2609) एवं प्रश्न संख्या 42 (क्रमांक 2610) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 23 फरवरी, 1995 को नगरीय कल्याण मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्रमांक 1035) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे

भोपाल :
दिनांक : 27 मार्च, 1995

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा